गया नगर निगम

पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना सं0– 20/2026–27
(ई–टेंडरिंग द्वारा https://eproc2.bihar.gov.in)

1.	विज्ञापन दाता का पदनाम एवं पता	: नगर आयुक्त, गया नगर निगम
2.	निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की तिथि	: दिनांक– 10.08.2026
3.	निविदा प्रारम्भ करने की तिथि/समय	: दिनांक– 01.09.2026 को 10:00 बजे से (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
4.	प्री बिड मीटिंग का समय स्थान/तिथि	: समय 11:00 बजे, स्थान–कार्यालय, गया नगर निगम दिनांक– 02.09.2026
5.	संवेदक द्वारा निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि/समय	: दिनांक– 09.09.2026 के 15:00 बजे तक (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
6.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि/समय	: दिनांक–11.09.2026 के 15:30 बजे से (on website https://eproc2.bihar.gov.in)
7.	वित्तीय बीड खोलने की तिथि/समय	तकनीकी बीड निष्पादन के बाद (on website https://eproc2.bihar.gov.in)

8. कार्य का विवरणः–

ग्रुप सं0	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (Non refund able)	Bid Processing Fee (Through Online Payment)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	गया नगर निगम	गया नगर निगम अन्तर्गत मानपुर सूर्य पोखरा का सौन्दर्यीकरण का निर्माण कार्य।	2,35,05,300	470500	10000	As per eproc 2.0	09 माह

9. निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन

10. निविदा कागजात अपलोड करने से पूर्व संवेदक को "Bid Processing Fee" & Transaction Processing Fee निम्न विधि से जमा करना होगाः–
    (i) "Bid Processing Fee" & Transaction Processing Fee is mandatory to be paid through online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, Online Challan, NEFT/RTGS.
    (ii) "Bids along with necessary online payments must be submitted through e-Procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non Submission of Tender/Non Reconciliation of online Payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/Holidays or any other reason."

11. 2 करोड़ से ऊपर की राशि की निविदा SBD (Standard Bid Documents) के माध्यम से की जायेगी।

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम में निबधित हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के ही निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेपटेंस प्राप्त होने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/लघु सिचाई विभाग/सिचाई विभाग/नगर निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन का निर्माण कार्य होगा, तो भवन निर्माण कार्य का निबंधन भी मान्य होगा।

13. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट https://eproc2.bihar.gov.in अथवा www.prdbihar.gov.in में देखा जा सकता हैं।

14. ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों का ई–टेन्डरिंग के Service Provider के पास पंजीकृत होना होगा जिससे कि उन्हे उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पारावर्ड (Passoword) एवं अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हे (https://eproc2.bihar.gov.in) से डाउनलोड करने/ई–टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्यता प्रदान करेगा। इसके लिए हेल्प डेरक प्रथम तल्ल एम/22, बैंक ऑफ इण्डिया, बिल्डिंग रोड संख्या–25, श्रीकृष्णा नगर, पटना, 800020, निःशुल्क दूरभाष संख्या–18005726571 एवं eproc2support@bihar.gov.in, पर सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता हैं।

15. निविदा में भाग लेने हेतु कण्डिका–8 में अंकित अग्रधन की राशि Online Mode एवं Offline Mode (बैंक गारंटी के रूप में ही) नगर आयुक्त, गया नगर निगम के पदनाम से प्रतिज्ञिप्त कराने के बाद ही मान्य होगा।

...d.i.4545156893447760420&simpl...

16. स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी–4 में निबंधित संवेदकों के पास सभी कार्य विभागों द्वारा आवंटित कार्यों में से Existing Commitment यदि 75 लाख (पचहत्तर) रुपये से अधिक है तो वे संवेदक इस निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। श्रेणी– 4 के कार्य के लिए सिर्फ श्रेणी– 4 के निविदा कार भाग ले सकते है। यानि 25 लाख के अन्दर कार्य के लिए श्रेणी– 4 के ही निविदा कार भाग ले सकते है अन्य श्रेणी का नहीं भाग ले सकते है।

17. संवेदकों को कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेन संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

18. (1) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें। यदि वे जानबुझकर तथ्य छुपाते हुए निविदा डालते है तो सारी जिम्मेवारी उनकी होगी तथा उनके विरूद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी।

(2) निविदा सूचना की अन्य शर्तो को पूरा करने के बावजूद कोई संवेदक की दी गयी निविदा बिल्कुल ही मान्य नहीं होगी यदिः–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाले तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधुरा छोड़ दिया हो, संविदा के शर्त्तो के अनुसार सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो या उनके पास पूर्व से आवंटित कार्य निर्धारित समय सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो। तथ्यों को छुपाने की जबाबदेही उनकी होगी क्योंकि उनके द्वारा समर्पित कागजात पर ही कार्यालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(3) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदाधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

19. <u>परिमाण विपत्र</u>

(1) उपर्युक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक के online mode i.e. Internet payment gateway (Credit/debit Card), Net banking, Online Challan, NEFT/RTGS. Payment Mode जो पोर्टल द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

(1) <u>अग्रधन</u>

(क) अनुमोदित बी0ओ0क्यू0 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 के 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 1000 के गुणक में होगी। जो Online Mode एवं Offline Mode (बैंक गारंटी के रुप में ही) जमा करना होगा।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है, उसी के अनुरुप अग्रधन की राशि देय होगी।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार की सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(2) निविदा के समय जमा (अपलोड) किये जाने वाले कागजात स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे स्वसत्यापित माना जायेगा।

(a) वैध निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति।

(b) साझेदार फार्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियशन की प्रति।

(c) पैन कार्ड की प्रति।

(d) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण–पत्र।

(e) अद्यतन आचरण प्रमाणपत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(3) संवेदक के अधीन लंबित/पूर्ण सभी विभागों के अधीन निविदा की तिथि को Existing commitment कार्यो की राशि सहित सूची (मूल में)।

(4) घोषणा प्रमाण पत्र (मूल में)/(शपथ पत्र मूल में) (अपलोड)

"मैं अद्योहस्ताक्षरी (साफ–साफ बड़े अक्षरों में नाम)..

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि–

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का अपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा Debar, Blacklisted एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अंदर विखंडित (Rescind) नहीं किया गया हैं।

(ग) मेरे/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्राय है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल के कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण पत्र, कागजात विवरणी जाली एवं गलत नहीं हैं।

(ङ) संवेदक के पास मिक्सर मशीन/वैच मिक्स प्लांट/मिनी मिक्स प्लांट मशीन, पोकलैण्ड मशीन, जे0सी0बी0 मशीन, कॉम्पैक्शन मशीन, नोजल भाईब्रेटर, सांटरिंग प्लेट, वाटर टैंकर, इत्यादि सौन्दर्यीकरण कार्य संबंधित मशीन स्वयं का होना चाहिए अथवा किराये पर लेने की स्थिति में संवेदक एवं स्वामी दोनों को लेने देने का मूल शपथ पत्र (अपलोडेड) एवं स्वामित्व प्रमाण पत्र देना होगा। साथ ही उपकरण का स्वामित्व का कागजात एवं यंत्र संयंत्र एवं गुण–नियंत्रण उपकरणों की स्वसत्यापित सूची भी अपलोड करना होगा। इसके अलावा SBD के Annexure-1 का अनुपालन अनिवार्य है।

उपर्युक्त कंडिका 'क' 'ख' 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा, कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा उनके उपर विधि सम्मत दण्ड संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे। चूँकि संवेदको का निबन्धन नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नहीं हो रहा है, संवेदकों को बिहार PWD CODE के बिहार ठीकेदारी निबन्धन

नियमावली–2007 के तहत काली सूची दिवार (Debar) तथ निलम्बन इत्यादि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा करने का होगा, यदि यह शर्त्ते संवेदकों को मान्य होगा, तभी वे निविदा डाले।

(च) यह स्पष्ट है कि निविदा के सभी कागजात Website (https://eproc2.bihar.gov.in) पर अपलोड करना होगा।

(छ) अनियोजित अभियंता निविदा देते समय कहां से/किस वर्ष (डिग्री/डिप्लोमा) पास किये है तथा वे अब तक अनियोजित है से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करना होगा। निविदा/कार्य आवंटन की प्रक्रिया लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के साथ की जायेगी। अनियोजित अभियंता के मामले में आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र 1 प्रतिशत ली जायेगी, जिसमें बैंक गारटी भी अनुमान्य होगा। जमानत की शेष 9 प्रतिशत राशि उनके चालु विपत्र से कटौती की जायेगी।

(5) प्रतिशत दर निविदा

(क) कार्य का दर सभी कर सहित अंकित किया जाय। अंक एवं शब्दों में अंकित दर में अंतर आने पर अंक में अंकित दर मान्य किया जायेगा।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या–9941/2022 के पारित आदेश के अनुपालन हेतु पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 4439 (ई.), पटना, दिनांक 17.07.2023 के द्वारा प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate Tender) पद्धति में प्राप्त की जाने वाली सभी प्रकार की निविदाओं में निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त कर दी गयी है। परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए Additional Performance Guarantee का प्रावधान निर्गत अधिसूचना के अनुसार ली जाएगी।

20. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी तथा आवंटन उपलब्ध रहने पर ही एकरारनामा एवं भुगतान किया जायेगा। इसके लिए निविदा दाता का कोई अनुरोध मान्य नहीं होगा।

21. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यो को या किसी कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा एंव किसी भी परिस्थिति में बी0ओ0क्यू0 का मूल्य लौटाया नही जाएगा।

22. निविदा निष्पादन

(1) यदि निविदा की कंडिका संख्या 18 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।

(2) सफल न्यूनतम दर दाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्त्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।

(3) निविदा में सफल एकाधिक संवेदकों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटरी) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही यदि आवश्यकता हुई तो दर प्रक्रमण (दर वार्त्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

23. एकरारनामा

(क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र F2 (कंडिका–23 बिलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।

(ग) अविलम्ब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचनापट उसकी आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निदेशों का पालन करना होगा।

अन्य शर्तेः–

(क) निविदा के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत हीं कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(ख) प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है तथा कार्यस्थल के अनुसार निरुपण में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं बी0ओ0क्यू0 के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

24. कार्य समाप्ति की तिथि से संवेदको को उनके कार्य मे त्रुटि सुधार की बाध्यता कार्य समाप्ति की तिथि से 36 माह (तीन वर्ष) होगी तत्पश्चात् कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी सुरक्षित जमा राशि विमुक्त की जायेगी। आवंटन उपलब्ध होने पर हीं भुगतान किया जायेगा।

25. E-Tendering में कार्यालय द्वारा download करने मे संलग्न अभिलेख यदि अपठनीय या किसी भी प्रकार से त्रुटि पूर्ण पाया जायेगा तो निविदा अमान्य किया जा सकता हैं।

26. तकनीकी बीड में निविदा का उतना ही कागजात संलग्न करे जितना निविदा शर्तो की कंडिकाओं में अंकित है। निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिकाओं को पूरी तरह समझने के लिए कार्यालय अवधि में निविदाकार कार्यपालक अभियंता, जल पर्षद, गया नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं।

27. निविदा डालने के पूर्व निविदा कार कार्य स्थल का स्वंय निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात् हीं निविदा डालेंगे। बाद में कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा।

28. 50 लाख से अधिक के निविदा में संवेदक द्वारा विगत तीन वर्षो में किसी एक वर्ष निविदा मूल्य के समतुल्य भुगतान प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा निविदा मूल्य के एक तिहाई मूल्य के बराबर समरूप कार्य का भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा जो सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, जिसमें IT, ST, Royality, Net Payment, Gross Payment होगा।

29. 50 लाख के अधिक मूल्य के निविदा में संवेदक के पास कम–से–कम एक डिप्लोमा(सिविल) एवं एक डिग्री (सिविल) अभियंता होना चाहिये। तत्संबंधी उनका शपथ पत्र एवं प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये। शपथ–पत्र मूल में नियोजित एवं नियोजनकर्ता दोनों प्क्षों का होना चाहिये। एक डिग्री–डिप्लोमा अभियंता एक ही विविदाकार के यहां नियोजित माना जायेगा। यदि एक ही डिग्री–डिप्लोमा अभियंता भिन्न–भिन्न निविदाकार के यहां नियोजन के शपथ–पत्र देंगे तो उनकी निविदा अमान्य कर दिया जायेगा। इसके अलावा SBD के Annexure-II का अनुपालन अनिवार्य है।

30. In the unlikely event of the server for https://eproc2.bihar.gov.in being down for more than two consecutive hours (in the period from midnight to closing time for receipt of tenders) on the last date of receiving of bid,

the last date of the same shall be extended by concerned authority only to the next working day till the last receiving time stipulated in the original NIT.

31. The bidders are requested to check their file size of uploaded documents at the time of submission & they should ensure that work file is uploaded. If they feel that the complete file is not uploaded then they should click on cancel & update the same before submission. The bidders should satisfy themselves of download ability/ visibility of the scanned & uploaded file by them.

32. The bidders can use MS Office version as well as pdf file. File size should be less than 10MB per file and should be in M.S. word, M.S. Excel, PDF and JPEG Formats.

33. No claim shall be entertained on account of disruption of internet service being used by bidders. Bidders are advised to upload their bids well in advance to avoid last hour's technical snags.

34. In exceptional circumstances, the competent authority, UD & HD may solicit the Bidder's consent to an extension of the period of validity.

35. Bids that are rejected during the bid opening process shall not be considered for further evaluation, irrespective of the circumstances.

36. The bidders shall submit their eligibility and qualification details, Technical bid, Financial bid etc., in the online standard formats given for respective tenders in e-Procurement website (https://eproc2.bihar.gov.in) at the respective stage only. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., in support of their eligibility criteria / technical bids and other certificate /documents in the e-Procurement website. The bidder shall sign on the supporting statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness /authenticity.

37. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published on the website itself.

नगर आयुक्त
गया नगर निगम

ज्ञापांक 1947/स्था॰, गया दिनांक 07-08-21

प्रतिलिपि :– निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क, सूचना भवन पटना को निविदा आमंत्रण सूचना राजकीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु समर्पित। अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना का प्रकाशन डाउनलोड करने की तिथि से 7/10 दिन पूर्व कराने की कृपा की जाय। विशेष जानकारी के लिये https://eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

नगर आयुक्त
गया नगर निगम

ज्ञापांक 1947/स्था॰, गया दिनांक 07-08-21

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, बुडको, राजापुल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

नगर आयुक्त
गया नगर निगम

ज्ञापांक 1947/स्था॰, गया दिनांक 07-08-21

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, मगध प्रमण्डल, बुडको, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

नगर आयुक्त
गया नगर निगम

ज्ञापांक 1947/स्था॰, गया दिनांक 17-08-21

प्रतिलिपि :– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
गया नगर निगम

ज्ञापांक 1947/स्था॰, गया दिनांक 07-08-21

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, बुडको, गया/कार्यपालक अभियंता जल पर्षद नगर निगम, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

नगर आयुक्त
गया नगर निगम

06/8/26

06-8-026